Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 27, December 2026
DOI: https://doi.org/10.68868/14Js15aK38
www.jsecrjournal.in

ग्राम सभा का महत्व और चुनौतियां

डॉ अमित कुमार रंजन
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग
सी0एम0बी0 कॉलेज डेवढ़, मधुबनी, बिहार
Email - ramitsocio@gmail.com

सारांश
भारतीय लोकतंत्र का दिल केवल दिल्ली के संसद भवन या राज्यों की विधानसभाओं में नहीं धड़कता, बल्कि देश के 6 लाख से अधिक गांवों में बसने वाली ग्राम सभाओं में धड़कता है। ग्राम सभा केवल स्थानीय शासन का एक अंग नहीं हैं, बल्कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy) का भारत में सबसे जीवंत और प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां लोकसभा और विधानसभाओं में नागरिक अपने प्रतिनिधियों(सांसदों और विधायकों) के माध्यम से शासन करते हैं, वहीं ग्रामसभा में गांव का हर एक मतदाता स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। ग्रामसभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियाद और ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन(1992) के तहत ग्रामसभा को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है, जो सीधे तौर पर गांव के नागरिकों को स्थानीय शासन में भागीदारी का अधिकार देती है।

मुख्य शब्द– ग्रामसभा, सशक्तिकरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सहभागिता, सामाजिक न्याय आदि।

प्रस्तावना
ग्रामसभा को मजबूत बनाए बिना देश में स्वराज नहीं आ सकता। हमारे देश में पंचायती राज कानून बने, पर पंचायतों को उसका अधिकार नहीं दिया गया। पंचायतों का ताकत देने के लिए एक संवैधानिक सुधार की जरूरत भी है। ग्रामसभा को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं हैं। एकजुटता में वही सब कुछ समाहित है, जो एक नागरिक को चाहिए। ग्रामीण भारत में अपने स्वशासन की व्यवस्था का लंबा ऐतिहासिक प्रमाण रहा है। पंचायती राज की व्यवस्था भारत में न ही नई है और न ही आयातित। भारत की यह स्वनिर्मित व्यवस्था है। वैदिककाल में गांव की व्यवस्था मुखिया के द्वारा होती थी। इस काल में सभा होती थी जिसमें सभी भाग लेते थे और जिसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इतिहास से ज्ञात है कि प्राचीन समय में प्रत्येक भारतीय गांव में पंचायत होती थी, जो स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के अलावा राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त थी। वेदों, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अध्ययन

से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गांव में पंचायत होती थी जो अपने नियम कायदे–कानून स्वयं बनाती थी। इन नियमो का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम गांव में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका समाधान करते थे जिससे समाज के भीतर सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। मगध में ग्राम शासन की परंपरा पाई जाती है। गुप्तकाल में भी स्थानीय स्वशासन का बङा ही महत्व था। यद्यपि राजतंत्र था, लेकिन सत्ता के विकेन्द्रीकरण के विभिन्न आयाम थे।

वैदिककाल से लेकर आजादी के बाद तक इसके स्वरूप में बदलाव स्वाभाविक था, किन्तु 73वें संविधान संशोधन को इस दिशा में मील का पत्थर अवश्य माना जा सकता है। सत्ता के विकेन्द्रगीकरण के आधुनिक दौर में भी राज्य सरकार पंचायतीराज के विकेन्द्रीकरण के आधुनिक दौर में भी राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के मामले में नौकरशाहों पर निर्भर रही। जनसाधारण के सशक्तिकरण में यह बहुत बङी बाधा रही है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्थानीय स्वशासन के महत्व पर बल देते हुए संविधान में उचित स्थान दिया है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का गठन के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'' इतना ही नहीं समय–समय पर अनेक समितियों और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया है। उनमें हैं– बलवंतराय मेहता समिति(1957), अशोक मेहता समिति(1977), जी.वी. राव समिति(1988), 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक(1989), 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक(1992), और 110वां संवैधानिक संशोधन विधेयक(2009)।

लोकतंत्र का हृदयस्थल 'ग्रामसभा' का गठन– विकास प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में शासन सत्ता की पहली इकाई ग्रामसभा है। अगर हम यूं कहे कि ग्रामसभा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हृदय है तो इस सन्दर्भ में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रामसभा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता अपने विकास के निर्णय स्वयं लेती है और अपने संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण करती है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम(1992) द्वारा संविधान में भाग–9 जोङा गया। इस भाग में 16नए अनुच्छेद(243क–243ण तक) और एक अनुसूचि(ग्यारहवीं अनुसूची) जोङी गई। इस भाग में ग्राम पंचायत के गठन, उसके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि ग्रामसभा का मतलब है, गांवों में रहने वाला प्रत्येक पुरूष और महिला जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है व उसका नाम मतदाता सूचि में दर्ज हो, वे सभी ग्रामसभा के सदस्य होते है। यहां पर यह बताना भी उचित रहेगा कि ग्रामसभा और ग्राम पंचायत दो अलग–अलग संगठन है। ग्राम पंचायत का अर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था और ग्रामसभा का तात्पर्य संपूर्ण गांव से है। संवैधानिक मान्यता के अनुसार ग्रामसभा के आयोजन को टाला नहीं जा सकता। बिहार, असम, मध्य प्रदेश में चार बार ग्रामसभा आयोजित करने का प्रावधान है। गुजरात एवं महाराष्ट्र में वर्ष में दो बार ग्रामसभा करने का प्रावधान है। गुजरात में ग्रामसभा लेखा–जोखा पर विचार करेगी एवं सुझाव देगी, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए इसे मानना बाध्यकारी नहीं है। मध्यप्रदेश में ग्रामसभा सचिव द्वारा बुलाई जाती है। बिहार में ग्रामसभा की बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पहले नोटिस चिपका कर, डुगडुगी बजवाकर, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर दिए जाने का प्रावधान है। बच्चों को उसके स्कूल में सूचना दी जाएगी, ताकि वे अपने अभिवावकों को ग्रामसभा की सूचना दे सकें। ग्रामसभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य के 20वें भाग से

होगा। पूरा नहीं होने पर बाद में 40वें भाग से भी कोरम पूर्ति की अनुमति दी गई है। प्रदेश में तीन महिने के अंतराल पर ग्रामसभा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। बिहार एवं आन्ध्रप्रदेश के प्रत्येक गांव में ग्रामसभा का प्रावधान है।

जनतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की बाधाएं– ग्रामसभा के सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक बाधाए उत्पन्न हो रही है। जिस कारण ग्रामसभा को जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नही ंकर रही है। सरकार के पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूति और उसे गति देने के लिए चलाई जा रही है। किन्तु अभी तक इनसे इच्छित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे है जिसके निम्न कारण है–

- **ग्रामसभा का विफल क्रियान्वयन–** पिछले दिनों उठाए गए अनेक सुधारात्मकों की वजह से वंचितों की भागीदारी तो बढ़ी, लेकिन ग्रामसभा की राह में अनेक चुनौतियां भी खडी हुई। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे कमजोर कडी ग्रामसभा हो गई। विडंबनाओं की शुरूआत ग्रामसभा के क्रियान्वयन से ही होती है। विधि संगत तरीके से ग्रामसभा का आयोजन देखने–सुनने को नहीं मिला करता है। ग्रामसभा होती भी है तो लोगों की संख्या नहीं होती। कभी–कभार आयोजित ग्रामसभा में लोगों की भागीदारी रस्म अदायगी भर होती है। गांव के हित में योजना बनाना, बजट पारित करना, कर एकत्रण के नियम बनाना, योजनाओं को लागू करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, लाभार्थियों का चयन करना, जनसहभागिता निभाना तथा जनसुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने जैसे दायित्वों के प्रति तो कई प्रदेशों की ग्रामसभा आज भी अनजान ही है।
- **सामाजिक अंकेक्षण की अनदेखी–** एक ओर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है तो दूसरी ओर विकास के मॉडल पंचायतों को सशक्त करने के प्रयास भी हो रहे हैं। उन्हें वित्तीय अधिकार दिए जा रहे है। मनरेगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा विचारधीन खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामसभा की सशक्त भूमिका सामाजिक अंकेक्षण को लेकर महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट के महत्व को केन्द्र सरकार ने भी परिभाषित किया हुआ है, लेकिन मनरेगा के अधिनियम की अनदेखी ग्रामसभा के सशक्त नहीं रहने के कारण होती रही है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते है कि ग्रामसभाओं की सक्रियता से ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास का काम ईमानदारी और निष्ठा से कर सकती है। ग्रामसभा ही ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण कर सकती है। ग्रामवासियों को ग्रामसभा के महत्वपूर्ण कार्य और अधिकारों को समझना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जहां पर सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है। इसलिए ग्रामसभा के जीवंत रूप में कार्य करना आवश्यक हो जाता है। ग्रामसभा केवल खानापूर्ति की जगह न बन जाए बल्कि यह लोगों को ग्रामीण विकास के प्रति जागरूक कर सके।
- **लालफीताशाही–** पंचायत की राह में एक ओर अफसरशाही रोडा अटकाती रही है। वहीं दूसरी ओर राजनितिक इच्छाशक्ति की भी कमी है। लेकिन यह भी सत्य है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति की वजह से अनेक सुधार के प्रयास हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी गति के पीछे मुख्यतः पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है। सरकार ने प्रतिनिधियों को अधिकार तो दिया है लेकिन उसके अनुपालन के प्रति पदाधिकारियों में कोई उत्साह नहीं होता। जनप्रतिनिधि कभी–कभी खुद को उपेक्षित समझने लगते हैं।

- **कर्मचारियों का अभाव–** कर्मचारियों का अभाव एक बङी समस्या रही है। पंचायतें अलग–अलग आबादी के लिए स्वायत्तशासी एवं संवैधानिक इकाई हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनके पास अपने कार्यो के निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हो। ग्राम पंचायत के लिए कर्मचारियों की आदर्श व्यवस्था क्या हो, इसका निदान पंचायती राज मंत्रालय के अखिल भारतीय सन्दर्भ में तैयार किए गए रोडमैप में सुझाया गया है। इस रोडमैप के मुताबिक पंचायतों के लिए कर्मचारियों के तीन कैडर हैं– एक ग्राम पंचायत दूसरा जिला एवं तीसरा राज्य कैडर। राज्य में प्रखंड एवं जिला इकाई पहले से ही क्रियाशील है। आमतौर पर बिहार एवं झारखं डमें पंचायत सचिवों की घोर कमी है जिससे पंचायतों का काम बखूबी संपादित नहीं हो पाता है।
- **पंचायती राज में भ्रष्टाचार–** निचले स्तर पर अराजकता का माहौल है। सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लङाई में निचले स्तर पर लोगों को जोङने की जरूरत है। आम लोगों में यह शिकायत है कि भ्रष्टाचार की वजह से उनका कोई काम नहीं हो सकता है। इसकी सर्वाधिक मार गरीबों के ऊपर ही पङती है। मौजूदा समय में कानून तो हैं, लेकिन जांच एजेंसियों पर सरकार का दबाव नहीं होता है। आम लोगों को जरूरी कामों के लिए मुखिया तथा प्रखंड मुख्यालय के बार–बार चक्कर काटने पङते हैं। बिना पैसे खर्च किये आम लोगों का काम ही नहीं हो पाता है। इस काम में पंचायतें कारगर भूमिका निभा सकती हैं। तमाम लोकोपयोगी योजनाओं को दिशा देने के साथ ही लोकतंत्र को सशक्त करने में पंचायत की भूमिका है, लेकिन बीते वर्षों में पंचायतों की विश्वसनीयता घटी है, जो गांधी के ग्राम स्वराज के दर्शन के विपरीत है। लोकतंत्र की जङे जिन गांवों में पोषित होती हैं वहां तो भ्रष्टाचार की दीमक लगी है। बीते वर्षो में पंचायत प्रतिनिधियों की चर्चा भ्रष्टाचार के कारण ज्यादा हुई है। बिहार में इस व्यवस्था की सबसे कमजोर कङी ग्रामसभा ही है। विडंबनाओं की शुरूआत ग्रामसभा के क्रियान्वयन से होती है।
- **पंचायती राज व्यवस्था में बाहुबल एवं धनबल–** यह पंचायती राज की नई बीमारी है। कल तक विधानसभा एवं लोकसभा के चुनावों में बाहुबल एवं धन–बल का व्यापक प्रयोग होता था, लेकिन यह रोङा पंचायती राज व्यवस्था में लग गया है। बिहार के पंचायती राज के चुनाव में बूथ लूट एवं हत्या इसी का नतीजा है। चुनाव जीतने के बाद मुखिया के ऊपर भ्रष्टाचार इसी की परिणति है। इसके अलावा जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता जैसी बीमारियां भी स्थानीय स्वशासन की जङों को खोखला कर रही है।
- यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला ग्राम प्रधान है तो उसकी अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक में भाग लेना बहुत से लोग अपना अपमान समझते हैं। इस कारण ग्रामसभा की बैठक में कम उपस्थिति देखी जाती हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु ग्रामसभा के सदस्यों के लिए सरकारी स्तर पर ऐसा किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाता है जिससे वे ग्रामसभा के महत्व को समझ सके।
- अधिकांश ग्राम प्रधान ग्रामसभा की बैठक के प्रति उदासीन देखे जाते हैं। इसके मूल कारण यह है कि गांव के विकास के लिए जो काम किए जाने चाहिए वे करवाते नहीं हैं और उन्हें आलोचना का शिकार आम जनता से होना पङता है।

ग्रामसभा सशक्तिकरण के पहलू– ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामसभा को सार्थक और प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसे सशक्त बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं–

- **एकजुटता–** ग्रामसभा को मजबूत बनाए बिना देश में स्वराज नहीं आ सकता। हमारे देश में पंचायती राज कानून बने, पर पंचायतों को उसका अधिकार नहीं दिया गया। पंचायतों को ताकत देने के लिए एक संवैधानिक सुधार की जरूरत भी है। ग्रामसभा को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। एकजुटता में वही सब कुछ समाहित है, जो एक नागरिक को चाहिए।
- **ग्रामसभा का क्रियान्वयन–** 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप गांव के मामले में ग्रामसभा की सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण रखते हुए बीपीएल निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास, कर निर्धारण, राजस्व वसूली सहित सभी विकास और कल्याण योजनाओं का निर्धारण सिर्फ ग्रामसभा में हो।
- **सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन एवं लोकव्यापीकरण–** सूचना का अधिकार हमारे परिपक्क लोकतंत्र का परिचायक है। मगर इस कानून को जमीनी रूप देने के लिए निचले तबकों की जागरूकता पर जोर देना होगा। इस अधिकार से जनता को अपनी समस्याओं से निजात पाने में सफलता मिल सकती है। बशर्ते इसे ईमानदारी से लागू किया जाए और जनता जागरूक होकर इस अधिकार का प्रयोग करें। तमाम लोकापयोग योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है, लेकिन जागरूकता एवं भ्रष्टाचार की वजह से इन कार्यक्रमों का हाल चिंताजनक है।

 सूचना अधिकार के प्रयोग से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आ सकती है। लोगों को जागरूक करना होगा। ग्रामीणों में जागरूकता के बाद ही वित्तीय वर्ष का लेखा–जोखा, ऑडिट रिपोर्ट, गांव की योजना से संबंधित रजिस्टर, अगले वर्ष होने वाले खर्च का लेखा–जोखा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा निगरानी समिति का गठन, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने, अफसरशाही पर अंकुश, पंचायत प्रतिनिधियों के अपमानपूर्ण व्यवहारों, भयादोहन आदि को रोकना होगा। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने के गंभीर प्रयास करने जैसे कार्यो से ही ग्रामसभा सशक्त होगी।
- ग्रामसभा की बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों को दी जानी चाहिए तथा ग्रामसभा की बैठक के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। इसके लिए समय–समय पर जनसभा, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, नुक्कङ नाटक, दूरदर्शन कार्यक्रम, आकाशवाणी कार्यक्रम आदि का आयोजन भी किया जाना चाहिए, जिससे जनता में जागृति उत्पन्न होगी।
- ग्रामसभा की बैठकों में उपस्थित लोगों के लम्बे–चौङे भाषणों के स्थान पर नागरिको को पंचायत कार्यो के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपस्थित ग्राम प्रधान और अन्य पंचों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को संतुष्ट करें।
- ग्रामसभा और ग्राम पंचायत का सम्बन्ध वैसा ही होना चाहिए जैसा विधायिका और सरकार का होता है। पंचायत को ग्रामसभा के प्रति जवाबदेही होना चाहिए और ग्राम पंचायत सदस्यों को तभी तक अपने पद पर रहना चाहिए जब तक उन्हें ग्रामसभा का विश्वास प्राप्त हो।
- ग्रामसभा की बैठक ऐसे समय बुलाई जानी चाहिए जिस समय कृषि कार्यो की व्यस्तता न हो ताकि कृषक वर्ग ग्रामसभा की बैठक में भाग ले सकें।

- ग्रामसभा की बैठक में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारी भी उपस्थित होने चाहिए जिससे ग्रामसभा की बैठक को सक्रियता मिलेगी।
- ग्रामसभा की बैठक का अचौक निरीक्षण किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इससे ग्रामसभा की बैठक में होने वाली कार्यो के प्रति सही स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है और उस पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग और महिला वर्ग के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में भी ग्रामसभा की बैठकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे इस वर्ग के नेतृत्व को ग्रामीण समाज स्वीकार कर सके।

निष्कर्ष– ग्रामसभा वह एकमात्र माध्यम है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। वह गांवों के सभी नागरिकों को पंचायत की कार्यपालिका के प्रस्तावों पर विचार करने, उनकी आलोचना करने, उन्हें मंजूर या नामंजूर करने तथा पंचायत के विगत कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अनुपम अवसर प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.6 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज व ग्रामसभा की वास्तविक संभावनाओं का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए अभी अनेक प्रयास करने होगें। ग्रामसभा को मजबूत बनाए बिना गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक तब्दीली के साथ–साथ आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. महिपाल, ''पंचायती रा'' सारांश प्रकाशन प्रा0लि0 दिल्ली 1968।
2. दूबे, दिवाकर '73वें संविधान संशोधन अधिनियम से सत्ता का विकेन्द्रीकरण' , कुरूक्षेत्र, वर्ष 42(7) नई दिल्ली 1997।
3. पाण्डा, स्नेहलाता, 'पंचायतों में महिलाओं की भूमिका'' योजना वर्ष 40(7) नई दिल्ली 1998।
4. कुंवर नीलिमा तथा कनौजिया सीमा, ''पंचासती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका'' कुरूक्षेत्र वर्ष 43(11) नई दिल्ली, 1998।
5. भारद्वाज, देवेन्द्र ''पंचायतीराज प्रणाली सुदृढ़ीकरण विकास का एक मात्र विकल्प, योजना वर्ष 46(3) नई दिल्ली 2002।
6. कटारिया डॉ0 सुरेन्द्र ''पंचायती राजः सफर आधी आबादी का पत्रिका 2010।
7. सिंह डॉ0 निशान्त ''पंचायती राज व्यवस्था'' राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2007।
8. गुप्त , विश्वनाथ ''भारत में पंचायती राज'', सुरभि प्रकाशन, दिल्ली 2015 पृ019।
9. अग्रवाल, प्रमाद कुमार, ''भारत में पंचायती राज'' ज्ञान गंगा, दिल्ली 2015 पृ0 27।
10. बंसल, वी. ''पंचायतीराज में महिला भागीदारी'' कल्याण पब्लिकेशन
11. लक्ष्मीकान्त एम. 'भारत की राजव्यवस्था' टाटा माइग्रा हिल एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड 2020
12. सिह, कुवर, 'पंचायती राज की राष्ट्रीय स्वरूप देने की आवश्यकता' कुरूक्षेत्र अगस्त 2008।
13. बसु,डी.डी. भारत का संविधानः एक परिचय लेक्सिसनेक्सिस प्रकाशन नई दिल्ली।